भाग–II

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 सितम्बर, 2017

संख्या लैज. 24/2017.– दि हरियाणा से'टॅल्मॅन्ट ऑव़ आउट्–स्टैन्–डिन्ग डयूज़ ऑ:ड्इनॅन्स, 2017, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 21 अगस्त, 2017 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1

हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अध्यादेश, 2017

विभिन्न अधिनियमों के अधीन व्यवस्थापन के रूप में उनके अधीन व्यवस्थापन स्कीम पेश करते हुए बकाया देयों की शीघ्र वसूली और उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

अध्यादेश

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है:

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अध्यादेश हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन अध्यादेश, 2017, कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अध्यादेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(i) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(ii) ''बकाया देय'' से अभिप्राय है, किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन 31 मार्च, 2017 तक की अवधि के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान न किया गया कोई कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य देय, चाहे निर्धारित किया गया हो या नहीं ;

(iii) ''सुसंगत अधिनियम'' से अभिप्राय है, अनुसूची में वर्णित अधिनियम ;

(iv) ''अनुसूची'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची ;

(v) ''स्कीम'' से अभिप्राय है, किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन बकाया देयों की शीघ्र वसूली के लिए ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों, जो वह ठीक समझे, को अन्तर्विष्ट करते हुए, इस अध्यादेश के अधीन सरकार द्वारा यथा अधिसूचित स्कीम।

स्कीम बनाना।

3. सुसंगत अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा परिसीमा काल, किसी व्यक्ति, आयातकर्ता, मालिक, स्वामी, व्यवहारियों की श्रेणी, व्यवहारियों की श्रेणियों या सभी व्यवहारियों द्वारा भुगतानयोग्य कर की दर, कर, ब्याज, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों को शामिल करते हुए, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन, सुसंगत अधिनियम जो 31 मार्च, 2017 तक की किसी अवधि से संबंधित है, के अधीन कर, ब्याज, शास्ति या किन्हीं अन्य देयों को शामिल करते हुए, बकाया देयों तथा उससे संबंधित या उनसे आनुषंगिक मामलों के व्यवस्थापन के लिए एक या अधिक स्कीम अधिसूचित कर सकती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	अधिनियम का नाम
1.	हरियाणा साधारण विक्रय–कर अधिनियम, 1973 (1973 का हरियाणा अधिनियम 20) (निरसित)
2.	हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का हरियाणा अधिनियम 6)
3.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74)
4.	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का हरियाणा अधिनियम 13) (निरसित)
5.	हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का हरियाणा अधिनियम 8) (वाद अधीन)
6.	हरियाणा सुख–साधन कर अधिनियम, 2007 (2007 का हरियाणा अधिनियम 23)
7.	पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 (1955 का पंजाब अधिनियम 16)
8.	पंजाब यात्री तथा माल कराधान अधिनियम, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 16) (निरसित)
9.	पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1)

चण्डीगढ़:
दिनांक 21 अगस्त, 2017.

प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियाणा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

55610—L.R.—H.G.P., Chd.